

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं0-15/आरोप (बेगूसराय) 02-97/2024-

(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....

समाहर्ता, बेगूसराय के पत्रांक-274/आ0प्र0, दिनांक-28.03.2026 द्वारा श्री सतीश कुमार सिंह, तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय के विरुद्ध बाढ़ 2021 हेतु मुख्य शीर्ष 39-2245-02-112-0002 अन्तर्गत जनसंख्या के निष्क्रमण मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में आवंटित राशि के विरुद्ध व्यय अभिश्रवों की जाँच के पश्चात् मो0-11,47,357-00 (ग्यारह लाख सैंतालीस हजार तीन सौ सनतावन रुपये) की वित्तीय अनियमितता पायी गयी। साथ ही बैंक खाता विवरणी देखने से ज्ञात हुआ है कि बैंक खाता में कुल मो0-6,95,676-00 (छः लाख पंचानवे हजार छह सौ छिहत्तर) रुपया अवशेष रहना चाहिए था, परन्तु राशि शून्य पाया गया तथा समायोजित अभिश्रव के द्वारा पुनः राशि की निकासी करना, सरकारी राशि की हानि करना या राशि का दुरुपयोग करने जैसे गंभीर आरोप प्रतिवेदित है।

2. प्राप्त आरोप पत्र को विभाग स्तर से पुर्नगठित करते हुए प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक-743(15), दिनांक-04.06.2026 द्वारा श्री सिंह से बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री सिंह द्वारा कार्यालय अंचल अधिकारी, ईसुआपुर, सारण के पत्रांक-927 दिनांक-06.07.2026 से अपना बचाव का लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा प्रतिवेदित आरोपों की सम्यक् जाँच के निमित्त अनुशासनिक कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री सतीश कुमार सिंह के विरुद्ध गठित आरोप पत्र में अंकित आरोपों की सम्यक् जाँच हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-17(2) के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जाती है।

5. इस अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच), बेगूसराय को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, बलिया को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

6. श्री सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के सम्बन्ध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, स्वयं उपस्थित रहेंगे।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समाहर्ता, बेगूसराय/अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच), बेगूसराय/भूमि सुधार उप समाहर्ता, बलिया/ श्री सतीश कुमार सिंह, तत्कालीन प्रभारी अंचल अधिकारी, साहेबपुर कमाल, बेगूसराय सम्प्रति अंचल अधिकारी, ईसुआपुर, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेज दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अरविन्द कुमार),
अवर सचिव।

7-
स्पीड-पोस्ट
ई-मेल

ज्ञापांक-15/आरोप (बेगूसराय) 02-97/2024-.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....
प्रतिलिपि:- समाहर्ता, बेगूसराय/भूमि सुधार उप समाहर्ता, बलिया/श्री सतीश कुमार सिंह,
अंचल अधिकारी, इसुआपुर, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-
(अरविन्द कुमार),
अवर सचिव।

स्पीड-पोस्ट

ज्ञापांक-15/आरोप (बेगूसराय) 02-97/2024-.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....
प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता (विभागीय जाँच), बेगूसराय को अभिलेख की प्रति के साथ सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

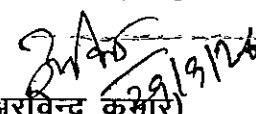
2. निदेशित किया जाता है कि विभागीय कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करते हुए
ससमय जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

अनु0- आरोप पत्र साक्ष्य सहित एवं स्पष्टीकरण की छायाप्रति।

ह0/-
(अरविन्द कुमार),
अवर सचिव।

ज्ञापांक-15/(बेगूसराय) 02-97/2024-.....1738.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-30/09/24...

प्रतिलिपि:- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/कनीय
प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-3/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना (मूल
प्रति में)/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(अरविन्द कुमार),
अवर सचिव।